OperationConviction के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायालय/विशेष पॉक्सो बहराइच द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹53,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

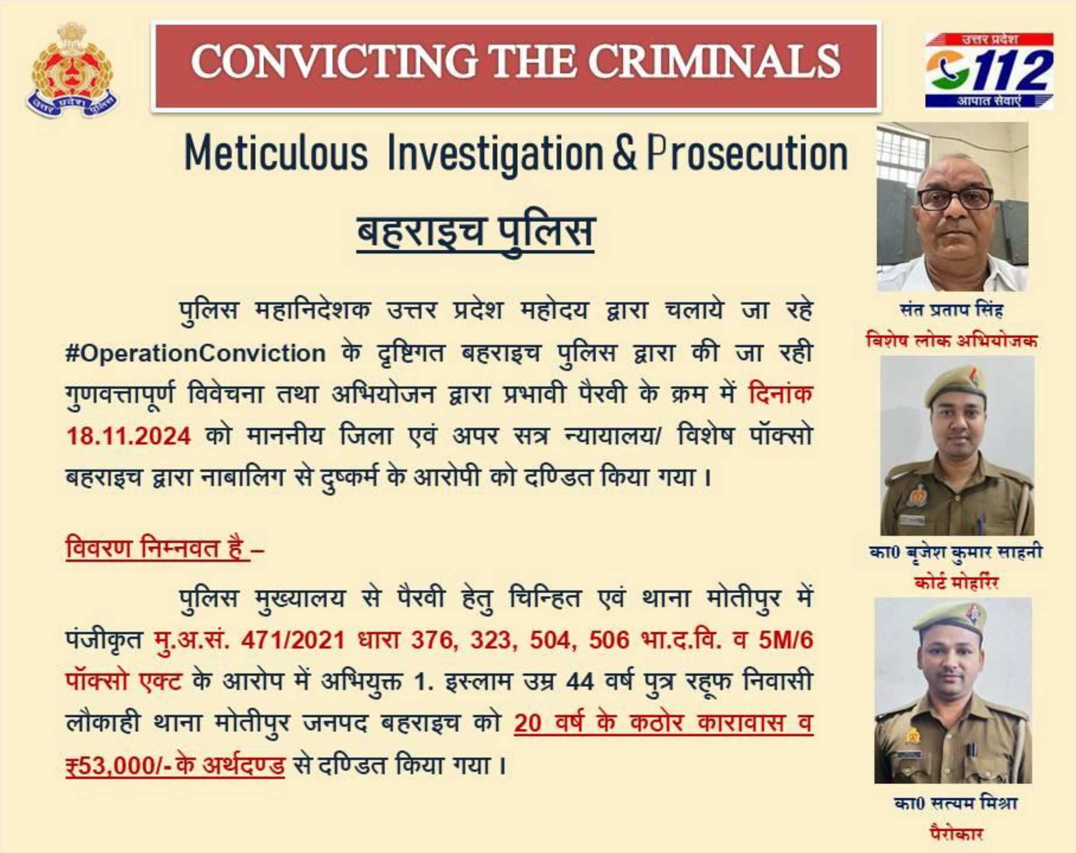

Daily News

#BahraichPoliceInNews

https://linktr.ee/mediacellbahraich

दुष्कर्म में अधेड़ को बीस वर्ष का सश्रम कारावास

अदालत से

- तीन वर्ष पूर्व घर में घुसकर सात वर्षीय बालिका से की थी वारदात
- कोर्ट ने दोषसिद्ध अपराधी पर लगाया 53 हजार का जुर्माना

बहराइच, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीप कांत मणि ने सात वर्षीय बालिका से रेप व पाक्सो के मामले में दोषसिद्ध अधेड़ को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 53 हजार का जुर्माना ठोका है जिसे अदा न करने पर दस माह की अतिरिक्त सजा काटनी हुई।

मोतीपुर थाने के एक गांव में 28 सितम्बर 2021 की शाम करीब 4 बजे गांव का ही अधेड़ इस्लाम पुत्र रहुफ एक व्यक्ति के घर में घुस गया। घर में सात वर्षीय बालिका को अकेले पाकर उसके साथ अश्लील हरकत कर छेड़छाड़ की। आरोपी ने बालिका के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में बालिका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 30 सितम्बर 2021 को इस्लाम के विरुद्ध घर में घुसकर छेड़छाड़ व पाक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया था। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संत प्रताप सिंह ने बताया कि थाने के विवेचक ने बालिका का मेडिकोलीगल कराया। रेप की पुष्टि होने व जांच के बाद इस्लाम के विरुद्ध रेप, पाक्सो व धमकी आदि की धाराओं में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के निर्दोष बताने पर न्यायाधीश ने प्रकरण के विचारण की शुरुआत की। सोमवार को बचाव पक्ष व अभियोजन के तर्कों को सुनने के उपरांत रेप व पाक्सो एक्ट मामले में दोष सिद्ध इस्लाम को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। 53 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया।

अभियोजन की सशक्त पैरवी से सुनाया फैसला

बहराइच। एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि इस केस में आप्रेशन कन्वीकशन के तहत कोर्ट मोहर्रिर सिपाही बृजेश कुमार साहनी, मोतीपुर एसएचओ, पैरोकार सिपाही सत्यम मिश्रा ने प्रभावी साक्ष्य संकलन व पैरवी की। अभियोजन पक्ष से विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संत प्रताप सिंह, विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष कुमार सिंह, सुरेन्द्र कुमार मौर्या ने कोर्ट में सशक्त पैरवी की।

दुष्कर्मी को 20 वर्ष की सजा, 53 हजार रुपये का जुर्माना

जासं • बहराइच : विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीपकांत मणि ने नाबालिग से दुष्कर्म व मारपीट के आरोपित को दोष सिद्ध ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर उसे 10 माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संत प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि मामला मोतीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। 28 सितंबर 2021 को चार बजे शाम एक व्यक्ति की सात वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी, तभी उसी गांव के रहने वाले इस्लाम ने उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए दुष्कर्म किया। पीड़ित के चिल्लाने पर मौके से फरार हो गया। पीड़िता के स्वजन ने आरोपित से पूछताछ की तो उल्टे मारपीट करते हुए गाली-गलौज करने लगा। पुलिस ने इस मामले में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपित के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल किया। अदालत ने विचारण के दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

पीड़िता को मिलेगी प्रतिकर की धनराशि

विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीपकांत मणि ने अपराध की प्रकृति व पीड़ित की उम्र को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत नियमानुसार प्रतिकर धनराशि दिलाए जाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को आदेश की प्रति भेज दी है।

सात वर्षीय बालिका के दुष्कर्मी को बीस वर्ष का कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी

बहराइच। मोतीपुर थाना क्षेत्र के लौकाही गांव निवासी अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने सोमवार को सात वर्षीय बेटी से दुष्कर्म के दोषी को बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को 53 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।

थाना मोतीपुर के एक गावं निवासी पिता ने अपनी सात वर्षीय बेटी के साथ लौकाही गांव निवासी इस्लाम के खिलाफ तहरीर दी थी। तहरीर में पिता ने कहा था कि उसकी बेटी 28 सितंबर 2021 को घर में अकेली थी। इसका फायदा उठाकर इस्लाम घर में घुसकर बेटी के साथ अश्लील हरकत करते हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बेटी के शोर मचाने पर अभियुक्त धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। विवेचना अधिकारी ने 24 मार्च 2022 को कोर्ट पर आरोपपत्र सौंपा था।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने अभियोजन पक्ष की दलील पर अभियुक्त को सुनाई सजा

सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट पर मुकदमे की हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अभियुक्त को बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को 53 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

BAHRAICH POLICE 24/7 #BahraichPolice Social Media Cell #SPBahraich